कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ (म0प्र0)

—: कार्य विभाजन आदेश :—

कमांक/......../सां0अनु0—45/2024 टीकमगढ, दिनांक :— 17.12. दिसम्बर, 2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पृष्ठांकन कमांक बी/4099/ तीन—6—3/85 जबलपुर दिनांक 04.09.2024 के साथ प्राप्त मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना कमांक 3564/इक्कीस—ब(एक)/2024 दिनांकित 02.09.2024 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय टीकमगढ़ के क्षेत्राधिकार में संशोधन किये जाने से, मैं हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म.प्र.) मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1), धारा 10(दो) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422, 448 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, न्यायिक जिला टीकमगढ़ के लिये पूर्व में जारी कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश कमांक—1934/सां.अनु.—45/2024 टीकमगढ़ दिनांक 19.07.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ, शेष आदेश यथावत् रखा जाता है:—

(1) कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश के पृष्ठ कमांक 7 एवं 9 पर अंकित सरल कमांक 19 एवं 21 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क.	किये जाने वाले कार्यों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी	रिक्त न्यायालय		
21-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी **(श्री रवि प्रकाश जैन)**	राजस्व तहसील निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा	1	एक करोड एक रूपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।
			2	म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें।
			3	आर्बिटेशन एण्ड कंशीलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं आर्बिटेशन एण्ड कंशीलिएशन एक्ट से संबंधित निष्पादन प्रकरण।
			4	हिन्दू विवाह अधिनियम/हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/हिन्दू दत्तक एवं भरण—पोषण अधिनियम/इंडियन डाईवोर्स एक्ट/स्पेशल मेरिज एक्ट/गार्जियनशिप एवं वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें।
			5	धारा 26 मप्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
			6	भू—अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
			7	भारतीय उत्तराधिकार के प्रकरण (भाग—10) को छोडकर।
			8	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञप्तियों/आदेशों , अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।
			9	लघुवाद दावे रूपये 501 से 1000 तक।
			10	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।
			11	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			12	ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उदभूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय के श्रवणाधिकारिता के हो।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्यों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			13	**मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणः**— थाना—1. **निवाड़ी** 2. **सिमरा** 3. **ओरछा** 4. **जेरौन** **5**. टेहरका 6. पृथ्वीपुर 7. सेंदरी से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।
			14	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			15	**व्यवहार अपीलः**— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी / ओरछा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी / ओरछा द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञप्तियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
			16	ग्राम न्यायालय, निवाड़ी से उत्पन्न सिविल नियमित एवं विविध अपील। (शासन के विरूद्व पारित अपीलों को छोडकर)

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(हस्ताक्षर)

(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)

पृ0कमांक / 3859 / सा0अनु0–45 / 2024 टीकमगढ़, दिनांक :–17 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान्नीय पोर्ट फोलियो न्यायाधिपति महोदय (टीकमगढ़), म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर (म0प्र0)
2. मान्नीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर (म0प्र0)
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर (म0प्र0)
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (म0प्र0)
5. कलेक्टर, टीकमगढ़ / निवाड़ी (म0प्र0)
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ / निवाड़ी (म0प्र0)

   – की ओर ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित्।

7. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) टीकमगढ़ (म0प्र0)
8. समस्त जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी (म0प्र0)
9. प्रभारी अधिकारी, (फाईलिंग काउन्टर) टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी / ओरछा
10. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी टीकमगढ़
11. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी / ओरछा
12. रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, टीकमगढ़
13. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय टीकमगढ़ / निवाड़ी
14. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी / ओरछा
15. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रशिक्षु न्यायाधीश) टीकमगढ़
16. प्रस्तुतकार, न्यायालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म0प्र0)
17. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म0प्र0)
18. अध्यक्ष अभिभाषक संघ जतारा / निवाड़ी / ओरछा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
19. प्रशासनिक अधिकारी / उप प्रशासनिक अधिकारी–प्रथम / द्वितीय, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
20. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)
21. संबंधित श्री ....

– क. 7 लगायत 21 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल के माध्यम से प्रेषित्।

22. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को संबंधित उक्त अधिकारीगण की ओर ई–मेल के माध्यम से अविलंब प्रेषित् करावें तथा जिला न्यायालय टीकमगढ़ की बेबसाईट पर अविलंब अपलोड करावें।

संलग्न– विविध आदेश

(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)